



मुख्यालय/Headquarters
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Employees' State Insurance Corporation
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110002
Panchdeep Bhawan, C.I.G. Marg, New Delhi-110002
ईमेल/Email: rajbhasha-hq@esic.nic.in /
वेबसाइट/Website: www.esic.nic.in / www.esic.in

संख्या : ए-50/11/20/2019-रा.भा.नि.

दिनांक: .04.2024

सेवा में,

बीमा आयुक्त, राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी, द्वारका, नई दिल्ली ।
अपर आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक/प्रभारी संयुक्त निदेशक/प्रभारी उप निदेशक ।
क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ।
चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी. निगम अस्पताल/ आदर्श अस्पताल ।
संकायाध्यक्ष, क.रा.बी. निगम चिकित्सा महाविद्यालय/दंत्य महाविद्यालय/नर्सिंग महाविद्यालय,
स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान ।
निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली/निदेशालय (चिकित्सा) नोएडा।

विषय: 31 मार्च, 2024 को समाप्त अवधि की हिंदी शिक्षण योजना की अर्धवार्षिक रिपोर्ट के प्रेषण के संबंध में।

महोदय/महोदया,

हिन्दी शिक्षण योजना की अर्धवार्षिक रिपोर्ट का प्रपत्र इसके साथ संलग्न कर प्रेषित है। कृपया दिनांक 31.03.2024 को समाप्त अर्धवार्षिक रिपोर्ट को इस प्रपत्र में भरकर दिनांक 15.04.2024 तक अवश्य भेजें। इसके अतिरिक्त, हिन्दी शिक्षण योजना की अर्धवार्षिक रिपोर्ट को भरने के संबंध में नमूने की प्रति संलग्न की जा रही है। साथ ही, उक्त रिपोर्ट भरते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर भी अवश्य ध्यान दें:-

1. अर्धवार्षिक रिपोर्ट की मुख्य प्रति हिंदी शिक्षण योजना को संबोधित की जाए तथा उसकी प्रतिलिपि मुख्यालय, क.रा.बी. निगम को सूचनार्थ अवश्य भेजी जाए ।
2. मद संख्या 2 में हिन्दी भाषा प्रशिक्षण (प्रबोध,प्रवीण,प्राज्ञ एवं पारंगत)/हिंदी टंकण प्रशिक्षण/आशुलिपि प्रशिक्षण की अनिवार्यता से छूट प्राप्त आंकड़ों को प्रत्येक कॉलम में अलग-अलग दर्शाएं ।
3. प्रत्येक प्रशिक्षण से संबंधित आंकड़ों का योग अलग-अलग किया जाए जैसे भाषा प्रशिक्षण मद संख्या 2,3,4,5 का योग मद संख्या 1 के बराबर हो, टंकण प्रशिक्षण मद संख्या 2,3,4,5 का योग मद संख्या 1 के बराबर हो और ऐसे ही आशुलिपि प्रशिक्षण का भी योग किया जाएगा जैसा कि नमूने की प्रति में भी दर्शाया गया है।
4. संलग्न प्रपत्र के कॉलम के अंतर्गत भाषा प्रशिक्षण से संबंधित आंकड़ों की दोहरी गणना से बचने के लिए यह सुनिश्चित करें कि पारंगत अंतिम परीक्षा न होने तक भाषा प्रशिक्षण कर्मिकों की संख्या का उल्लेख मद संख्या 4 अथवा 5 में करें । इसके अतिरिक्त, प्रपत्र में आंकड़े भरते समय यह भी ध्यान रखें कि (i) प्रबोध प्रशिक्षण स्टाफ कार ड्राइवर,रिकार्ड सॉर्टर, इलेक्ट्रिशियन, टेलीफोन ऑपरेटर, फिटर आदि के लिए अनिवार्य है और जिनके लिए यह अंतिम परीक्षा भी मानी जाएगी । (ii) प्रवीण प्रशिक्षण वैज्ञानिक, डॉक्टर, नर्स प्रयोगशाला पर्यवेक्षक आदि के लिए अनिवार्य है और जिनके लिए यह अंतिम परीक्षा भी मानी जाएगी । (iii) जिन अधिकारियों/कर्मचारियों से सचिवालयी कार्य आदि अपेक्षित है उनके लिए प्राज्ञ

प्रशिक्षण अनिवार्य है तथा प्राप्त प्रशिक्षण प्राप्त/कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कार्मिक पारंगत पाठ्यक्रम के लिए पात्र हैं और जिनके लिए यह अंतिम परीक्षा भी मानी जाएगी।

5. कृपया यह सुनिश्चित किया जाए कि रिपोर्ट में कार्यालय अध्यक्ष के हस्ताक्षर हिंदी में (द्विभाषी मोहर सहित) ही हों।
6. रिपोर्ट के अग्रपृष्ठ पत्र में आपकी इकाई में राजभाषा शाखा की यूनिफाइड ई-मेल आइ.डी. (यदि कोई हो.) अथवा राजभाषा अधिकारी/प्रभारी की ई-मेल आइ.डी. तथा उनकी संपर्क संख्या (दूरभाष/मोबाइल/वी.ओ.आइ.पी.) संबंधी सूचना अवश्य दी जाए ।

संलग्नक: यथोपरि ।

भवदीय

Signed by Shyam Kumar
Date: 02-04-2024 17:33:55

(श्याम कुमार)

संयुक्त निदेशक (राजभाषा)

प्रतिलिपि :- वेबसाइट सामग्री प्रबंधक को इसे क.रा.बी. निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ प्रेषित।

संयुक्त निदेशक (राजभाषा)

हिंदी शिक्षण योजना से संबंधित अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट
(01 अक्टूबर, 2023 से 31 मार्च, 2024/ 01 अप्रैल, 2024 से 30 सितंबर, 2024 को समाप्त छमाही रिपोर्ट)
....., कर्मचारी राज्य बीमा निगम

1	2	3		4		5
क्र. सं.		प्रचालन अधिकारी		प्रशासनिक अधिकारी		योग
		राजपत्रित	अराजपत्रित	राजपत्रित	अराजपत्रित	
1.	अधिकारियों/ कर्मचारियों की कुल संख्या					
2.	मद संख्या 1 में से हिंदी प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ तथा हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण की अनिवार्यता से छूट प्राप्त कार्मिकों की कुल संख्या			भाषा-		
				टंकण-		
				आशुलिपि-		
3.	मद संख्या 1 में से सामने दर्शाए गए पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त चुके कार्मिकों की संख्या	जिनके लिए प्रबोध अंतिम परीक्षा थी				
		जिनके लिए प्रवीण अंतिम परीक्षा थी				
		जिनके लिए प्राज्ञ अंतिम परीक्षा थी				
		जिनके लिए पारंगत अंतिम परीक्षा थी				
		जिनके लिए टंकण अंतिम परीक्षा थी				
		जिनके लिए आशुलिपि अंतिम परीक्षा थी				
4.	मद संख्या 1 में से सामने दर्शाए गए पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे कार्मिकों की संख्या	जिनके लिए प्रबोध अंतिम परीक्षा थी				
		जिनके लिए प्रवीण अंतिम परीक्षा थी				
		जिनके लिए प्राज्ञ अंतिम परीक्षा थी				
		जिनके लिए पारंगत अंतिम परीक्षा थी				
		जिनके लिए टंकण अंतिम परीक्षा थी				
		जिनके लिए आशुलिपि अंतिम परीक्षा थी				
5.	मद संख्या 1 में से सामने दर्शाए गए पाठ्यक्रमों के लिए शेष कार्मिकों की संख्या	जिनके लिए प्रबोध अंतिम परीक्षा थी				
		जिनके लिए प्रवीण अंतिम परीक्षा थी				
		जिनके लिए प्राज्ञ अंतिम परीक्षा थी				
		जिनके लिए पारंगत अंतिम परीक्षा थी				
		जिनके लिए टंकण अंतिम परीक्षा थी				
		जिनके लिए आशुलिपि अंतिम परीक्षा थी				

* वर्ग 'घ' से 'ग' में आए कर्मचारियों की संख्या भी शामिल।
टैप्पणी: मद संख्या 2,3,4,5 का योग मद संख्या 1 के बराबर हो।

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर मोहर सहित
-तथा दूरभाष संख्या
ईमेल आई डी

हिंदी शिक्षण योजना से संबंधित अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट

(01 अक्टूबर, 2023 से 31 मार्च, 2024/ 01 अप्रैल, 2024 से 30 सितंबर, 2024 को समाप्त छमाही रिपोर्ट)

....., कर्मचारी राज्य बीमा निगम

1	2	3		4		5	
क्र. सं.		प्रचालन अधिकारी		प्रशासनिक अधिकारी		योग	
		राजपत्रित	अराजपत्रित	राजपत्रित	अराजपत्रित		
1.	अधिकारियों/ कर्मचारियों की कुल संख्या	लागू नहीं	लागू नहीं	06	61	67	
2.	मद संख्या 1 में से हिंदी प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ तथा हिंदी टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण की अनिवार्यता से छूट प्राप्त कार्मिकों की कुल संख्या	लागू नहीं	लागू नहीं	भाषा- 05	52	57	
				टंकण- 06	43	49	
				आशुलिपि- 06	60	66	
3.	मद संख्या 1 में से सामने दर्शाए गए पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त चुके कार्मिकों की संख्या	जिनके लिए प्रबोध अंतिम परीक्षा थी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	0
		जिनके लिए प्रवीण अंतिम परीक्षा थी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	0
		जिनके लिए प्राज्ञ अंतिम परीक्षा थी	लागू नहीं	लागू नहीं	0	0	0
		जिनके लिए पारंगत अंतिम परीक्षा थी	लागू नहीं	लागू नहीं	0	0	0
		जिनके लिए टंकण अंतिम परीक्षा थी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	02	02
		जिनके लिए आशुलिपि अंतिम परीक्षा थी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	01	01
4.	मद संख्या 1 में से सामने दर्शाए गए पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे कार्मिकों की संख्या	जिनके लिए प्रबोध अंतिम परीक्षा थी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	0
		जिनके लिए प्रवीण अंतिम परीक्षा थी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	03
		जिनके लिए प्राज्ञ अंतिम परीक्षा थी	लागू नहीं	लागू नहीं	0	0	0
		जिनके लिए पारंगत अंतिम परीक्षा थी	लागू नहीं	लागू नहीं	0	0	0
		जिनके लिए टंकण अंतिम परीक्षा थी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	03	03
		जिनके लिए आशुलिपि अंतिम परीक्षा थी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	0	0
5.	मद संख्या 1 में से सामने दर्शाए गए पाठ्यक्रमों के लिए शेष कार्मिकों की संख्या	जिनके लिए प्रबोध अंतिम परीक्षा थी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	0
		जिनके लिए प्रवीण अंतिम परीक्षा थी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	0
		जिनके लिए प्राज्ञ अंतिम परीक्षा थी	लागू नहीं	लागू नहीं	0	0	0
		जिनके लिए पारंगत अंतिम परीक्षा थी	लागू नहीं	लागू नहीं	01	09	10
		जिनके लिए टंकण अंतिम परीक्षा थी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	13	13
		जिनके लिए आशुलिपि अंतिम परीक्षा थी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	02	02

मद संख्या	1	2	3	4	5
भाषा प्रशिक्षण	67	= 57 +	(0+0+0)	+(0+0+0)	+(0+0+10)
टंकण प्रशिक्षण	67	= 49 +	02	+ 03	+13
आशुलिपि प्रशिक्षण	67	= 66 +	01	+ 0	+0